



कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Website - <http://www.govtcollegegunderdehi.in/>

Email Id – gskycollege@gmail.com

Pin Code - 491223

Phone No. - 0788-2628100

क्रमांक – 463 / अ.व्या. / 2024

गुण्डरदेही, दिनांक – 14-10-2024

// वैकल्पिक व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन //

(वैकल्पिक व्यवस्था के तहत)

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ-3-54/2020/38-1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20-06-2024 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज. स्था./2024, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06-07-2024 के अनुसार शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.), पिन कोड-491223 में पदस्थ अतिथि व्याख्याता (विषय जन्तुविज्ञान) के मातृत्व अवकाश में जाने के कारण उक्त अवकाश की अवधि में अध्ययन-अध्यापन हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वैकल्पिक व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त के अंतर्गत वैकल्पिक व्याख्याता की व्यवस्था कार्यभार ग्रहण तिथि से अधिकतम 15-03-2025 अथवा इसके पूर्व यदि मातृत्व अवकाश पर जाने वाले अतिथि व्याख्याता कार्य पर उपस्थित होती है तक के लिये किया जायेगा तथा यह वैकल्पिक व्यवस्था स्वमेव समाप्त मानी जायेगी। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन, दिनांक 28-10-2024 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:-

- वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वैकल्पिक व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
- अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण:-

क्र	विषय	रिक्त पद एवं संख्या	
		प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
1	जन्तुविज्ञान	निरंक	01

टीप:-

- संबंधित विषय में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता/वैकल्पिक व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।
- समस्त प्रावधान अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार लागू होंगे।

क्रमशः.....

शर्त:-

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल., पी-एच.डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 28-10-2024 को संध्या 05:00 बजे तक कार्यालयीन समय में डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
03. अंतिम तिथि उपरान्त महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
04. प्राप्त आवेदनों की अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 05-11-2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 07-11-2024 तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 08-11-2024 को किया जावेगा, जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. यह आमंत्रण अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अंतर्गत वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित निर्देशों के अधीन होगी।
08. आमंत्रित अभ्यर्थी की व्यवस्था कार्यभार ग्रहण तिथि से अधिकतम 15-03-2025 अथवा इसके पूर्व यदि मातृत्व अवकाश में जाने वाले अतिथि व्याख्याता कार्य पर उपस्थित होती है तो, यह वैकल्पिक व्यवस्था स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
09. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आमंत्रित वैकल्पिक व्याख्याता को अध्यापन के एवज में नियमानुसार मानदेय एवं एक शैक्षणिक सत्र में 05 माह तक अध्यापन पूर्ण करने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता होगी परन्तु ऐसे वैकल्पिक व्याख्याता को विस्थापित श्रेणी की पात्रता नहीं होगी।
10. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि, संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
11. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-4) देना होगा।
12. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
13. वैकल्पिक व्याख्याता की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
14. अतिथि व्याख्याताओं के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा:-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के व्याख्यान के लिए			
1.	40-45 मिनट के व्याख्यान के लिए	400/-	300/-
2.	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के व्याख्यान के लिए			
3.	60 मिनट के व्याख्यान के लिए	500/-	350/-
4.	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35000/- प्रतिमाह अधिकतम)

15. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.), पिन कोड-491223 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।

क्रमशः.....

16. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता/वैकल्पिक व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
17. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
18. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
19. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
20. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है, तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

K. K. Chavale

डॉ.के.डी.चावले

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College
Gunderdehi, Distr. Balod (C.G.)

पृ.क्रमांक -

/अ.व्या./2024

गुण्डरदेही, दिनांक - 14-10-2024

प्रतिलिपि,

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-3, द्वितीय/तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिसर दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्राचार्य, अग्रणी शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय..... को इस सूचना को सूचना पटल पर स्थान देने के अनुरोध सहित प्रेषित।
05. रोजगार अधिकारी, रोजगार कार्यालय, बालोद कृपया उपरोक्त सूचना, सूचना पटल में चस्पा करने का कष्ट करें।
06. महाविद्यालयीन सूचना पटल एवं वेबसाइट पर चस्पा हेतु।

K. K. Chavale

डॉ.के.डी.चावले

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College
Gunderdehi, Distt. Balod (C.G.)